केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/प्रायोगिक-2024/2023 26.12.2023

परिपत्र

कक्षा X/XII , 2023-2024 के लिए वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं/आंतरिक आकलन/प्रोजेक्ट की तैयारी

सत्र-2023-24 के लिए वार्षिक परीक्षाएं/ आंतरिक आकलन/प्रोजेक्ट आकलन, 01 जनवरी, 2024 से प्रारंभ होना नियत किया गया है।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं/आंतरिक आकलन /परियोजना आकलन को समयबद्ध रीति से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

स्कूलों द्वारा कार्रवाई

1. स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर लिया गया है ।
2. स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयोगशालाओं की तैयारी और स्टॉकिंग एवं आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति जैसे आवश्यक इंतजाम समय पर पूरे कर लिए गए हैं।
3. स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों और अभिभावकों को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रायोगिक परीक्षाओं की समय-सारणी के विषय में सूचित कर दिया गया हो।
4. स्कूल सेउन अभ्यर्थियों (एलओसी) की सूची, जो प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रतिभागिता दर्ज करवाने वाले हैं, को ऑनलाइन माध्यम से जांचा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के सही विषय और वर्गीकरण/श्रेणी (उदाहरण के लिए: नियमित/कंपार्टमेंट/सुधार) को ऑनलाइन प्रणाली में परिलक्षित किया जाए।
5. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोगिक परीक्षाओं के वास्तविक संचालन की तिथि से पूर्व,स्कूल में प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो गई हैं।
6. प्रायोगिक परीक्षाओं में अंक, विषय के प्रायोगिक घटक में सही अधिकतम अंकों से ही दिए जाने चाहिए जैसा कि दिनांक 30.10.23 के परिपत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/अंक वितरण/ई-58224, द्वारा जारी अंकों के द्विभाजन के परिपत्र में उल्लिखित है।
7. यदि उक्त मदों में से किसी के संबंध में कोई कमी पाई पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
8. बारहवीं कक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों द्वारा ही संपन्न करवाई जाएंगी।

छात्रों द्वारा कार्रवाई

9. छात्र/अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों की सूची में,उनके अध्ययन के विषय सही तरह से दर्शाए जा रहे हैं।
10. छात्रों/अभिभावकों को पाठ्यक्रम और उन विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनके लिए प्रायोगिक परीक्षा ली जा रही है।
11. छात्रों को नियत समय-सारणी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रतिभागिता दर्ज करवानी होगी चूंकि बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल होने का दूसराअवसर नहीं दिया जाएगा।
12. उपरोक्त किसी भी मद के संबंध में कोई भी समस्या या प्रश्न होने के मामले में संबंधित छात्र अपने स्कूल से संपर्क करेंगे।

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092
Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई

13. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीएसई द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी होते ही स्कूलों के साथ साझा किया जाएगा।

14. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार सभी स्कूलों द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कर ली जाएं और तदनुसार अंक भी अपलोड कर दिए जाएं।

15. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां भी लागू हो, कक्षाऔर विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ होने से पूर्व, स्कूलों में बाहरी परीक्षक नियुक्त कर लिए जाएं।

16. क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने से पहले प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं स्कूलों में पहुंचा दी जाएं।

भवदीय,
हस्ता/-
(संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वेब प्रशासन को अनुरोध के साथ प्रति